


# कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला जशपुर (छ.ग.)

// संक्षिप्त निविदा सूचना का प्रारूप //

निविदा विज्ञप्ति...२०१७..... दिनांक ...२२.०२.२०१७

भू-अभिलेख शाखा, जशपुर की ओर से निर्माताओं एवं उनके अधिकृत विक्रेताओं से जशपुर जिले के तहसील कार्यालय एवं जिला कार्यालय के लिये राजस्व अभिलेखों का रखरखाव के लिये मोबाईल कॉम्पेक्टर एवं बायोमैट्रिक डोर तैयार करने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र भू-अभिलेख कार्यालय के नाजिर शाखा से आवेदन प्रस्तुत कर रुपये 1000/- नगद भुगतान कर दिनांक 08.03.2017 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 से 5.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि 08.03.2017 समय शाम 5:30 बजे तक  
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 09.03.2017 समय दोहर 3:00 बजे तक  
निविदा खोलने की तिथि 09.03.2017 समय शाम 4:00 बजे  
स्थान-अपर कलेक्टर कक्ष जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)  
संलग्न- निविदा के प्रारूप एवं शर्तों


  
कलेक्टर  
जशपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / २०१७ A / भू.अभि. / स्था. / 2017

जशपुर, दिनांक २२/०२/२०१७

प्रातिलिपि:-

1. महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त निविदा प्रदेश स्तरीय दो समाचार पत्रों एवं राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. संचालक, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जशपुर को सूचनार्थ कर लेख है कि उपरोक्तानुसार निविदा की प्रारूप एवं शर्तों को राज्य के वेबसाई [www.cg.gov.in](http://www.cg.gov.in) एवं जिले वेबसाइट [jashpur.gov.in](http://jashpur.gov.in) में अपलोड करें।
4. उपसंचालक, जनसंपर्क विभाग, जशपुर की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें।

  
कलेक्टर  
जशपुर (छ.ग.)

# कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जशपुर जिला जशपुर (छ.ग.)

// निविदा के नियम एवं शर्तें //

क्रमांक / २०७ / भू.अभि. / स्था. / २०१७


जशपुर, दिनांक २२/०२/२०१७

राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत जशपुर जिले के पुराने राजस्व अभिलेखों का रखरखाव हेतु तहसील एवं जिला स्तर पर Mobile Compactor मात्रा ०८ सेट एवं बायोमैट्रिक डोर मात्रा ०९ सेट स्थापित करने हेतु निम्न शर्तों के अध्याधीन सीलबंद निविदा दिनांक ०९.०३.२०१७ को समय ०३:०० बजे तक आमंत्रित की जाती है, निविदा की नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं:-

## नियम व शर्तें:-

1. Mobile Compactor एवं बायोमैट्रिक डोर, निविदाकर्ता फर्म द्वारा ड्राइंग एवं डिजाइन के साथ ही निविदा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. Mobile Compactor एवं बायोमैट्रिक डोर का दर मॉडल अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
3. निविदा जमा करने वाले कंपनी/फर्म का जीवित पंजीयन वाणिज्यकर विभाग, छत्तीसगढ़ से होना अनिवार्य है।
4. निविदा जमा करने वाले कंपनी/फर्म को निविदा के साथ आयकर विवरण पत्रक वित्तीय वर्ष २०१५-१६ का प्रस्तुत कराना अनिवार्य है।
5. निविदा जमा करने वाले कंपनी/फर्म को पुराने राजस्व अभिलेखों का रखरखाव हेतु Mobile Compactor एवं बायोमैट्रिक डोर स्थापित करने का ०२ वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। पूर्व में की गई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। (कार्यादेश की प्रति मान्य नहीं होगी)
6. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि के रूप में मोबाइल काम्पेक्टर हेतु ५०,०००/- (पचास हजार रुपये मात्र) एवं बायोमैट्रिक डोर हेतु रुपये ५०,०००/- (पचास हजार रुपये मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ०डी०आर०/टी०डी०आर० कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जशपुर के नाम देय होगा।
7. Mobile Compactor एवं बायोमैट्रिक डोर कार्य के लिये कुशल कर्मचारियों की व्यवस्था निविदाकार के द्वारा ही किया जाना होगा, इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जावेगी। इस कार्य हेतु कुशल श्रमिकों की सूची संलग्न करना अनिवार्य होगी।
8. कार्य समय सीमा में पूर्ण करने का दायित्व निविदाकार का होगा, कार्य पूर्ण करने की अधिकतम सीमा ०६ माह की होगी। समय सीमा में कार्य नहीं करने पर पेनाल्टी के रूप में प्रतिदिन १००/- की दर से राशि कटौती की जावेगी।
9. निविदाकार को वाणिज्यकर विभाग द्वारा जारी कर चुकता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। चालान की प्रति मान्य नहीं होगी।
10. कार्य गुणवत्ता अनुरूप नहीं होने की स्थिति में कुल भुगतान राशि में से ०३ प्रतिशत की दर से कटौती करने का अधिकार कलेक्टर, जशपुर को होगा।
11. प्रस्तुत निविदा दरों के संबंध में नेगोशिएशन का अधिकार कलेक्टर, जशपुर को होगा।

12. जिस निविदाकार फर्म का निविदा स्वीकृत नहीं होगा, उनकी अमानत राशि लौटा दी जावेगी और जिसकी निविदा स्वीकृत होगी, उनकी अमानत राशि अनुबंध कार्य पूर्ण होने के पश्चात् देय होगी।
13. स्वीकृत निविदाकार द्वारा यदि किसी कारण से अपनी निविदा वापस ले लिया जाता है या निविदा के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में अमानत राशि राजसात कर दी जायेगी और फर्म के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
14. जिस फर्म का निविदा दर स्वीकृत किया जाता है, उसे 03 दिवस के भीतर उपरोक्त दोनों कार्य हेतु 100-100/- के पृथक-पृथक न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी करने पर कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जशपुर के निर्देशानुसार जिले के तहसीलों में निविदा कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।
15. निविदा/कार्यादेश अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर, जशपुर में निहित होगा एवं किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर, जशपुर का निर्णय अंतिम होगा। कोई भी न्यायालयीन वाद उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्र जशपुर, जिला जशपुर में होगा।
16. निविदा की दर स्वीकृत होने पर फर्म की राशि का भुगतान कार्य प्रगति के आधार पर तीन किस्तों में की जावेगी। प्रथम किस्त में 30 प्रतिशत राशि का भुगतान, द्वितीय किस्त में 30 प्रतिशत राशि का भुगतान एवं अंतिम किस्त में 40 प्रतिशत राशि की भुगतान की जावेगी। राशि के भुगतान करने के पूर्व संबंधित फर्म द्वारा किए गए कार्य को सत्यापन कराना अनिवार्य होगी।
17. संबंधित फर्म को भुगतान किए जाने वाले राशि में से नियमानुसार वेट टैक्स/टी.डी.एस. की कटौती कर भुगतान किया जावेगा।
18. जो निविदा से निर्धारित अवधि के पश्चात् व्यक्तिगत अथवा डाक से प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जायेगा।
19. Mobile Compactor एवं बायोमैट्रिक डोर की संख्या में कम या अधिक क्रय किया जा सकता है।
20. Mobile Compactor एवं बायोमैट्रिक डोर स्थापित में 01 वर्ष के भीतर किसी प्रकार का संचालन में कमी या खराबी होने पर प्रदाय की गई फर्म द्वारा सुधार कार्य कराया जावेगा।
21. निविदाकार को निविदा दो लिफाफा "अ" में तकनीकी अर्हता और "ब" में वित्तीय दर प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा "अ" में तकनीकी अर्हता जैसे वित्तीय वर्ष 2015-16 का आयकर विवरण पत्रक, वाणिज्यकर विभाग का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, वाणिज्यकर विभाग का कर चुकता प्रमाण पत्र, पिछले 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, कर्मचारियों की सूची, अमानत राशि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। लिफाफा "अ" की जानकारी सही नहीं पाये जाने पर लिफाफा "ब" नहीं खोला जावेगा। लिफाफा "अ" एवं "ब" पर स्पष्ट रूप से लिफाफा "अ" एवं "ब" लिफाफा की पहचान के लिये लिखना अनिवार्य होगा।

  
 कलेक्टर  
 जशपुर (छ.ग.)